न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 348/2014

बउनवान

तोताराम पुत्र श्री गोपीलाल जाति–मेहर निवासी–फतेहपुर
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री असलम भारती, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 11.03.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–फतेहपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1831 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 320/– रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है जिसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रकिया के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी अपीलांट के खेत से लगवां खाली भूमि है जिसको खाली छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 205/13 निर्णय दिनांक 04.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 205/13 निर्णय दिनांक 04.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 703/14 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official